दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

मो.दु.दा.अ.378/2013

निर्णय की तिथि:08 मई, 2014

राज कुमार ..... अपीलकर्ता

इसके माध्यम से: श्री एस.एन.पराशर, अधिवक्ता

बनाम

जीत सिंह व अन्य ....प्रत्यर्थीगण

इसके माध्यम से: प्र-2 के लिए अधिवक्ता श्री ल.के.त्यागी।

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

<u>निर्णय(मौखिक)</u>

1. अपीलकर्ता दिनांक 20.10.2008 को अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पशु चिकित्सालय भोजपुरा के पास पहुंचा तो एक टाटा ट्रक सं. एचआर 38सी-2777 जो बहुत तेज गति से लापरवाही से चला रहा था, ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका पहले गुरु टेक बहादुर अस्पताल में इलाज किया गया और फिर उन्हें ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली

में भेज दिया गया। उन्हें दिनांक 21.10.2008 को मैक्स बालाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और दिनांक 30.10.2008 को उन्हें वहां से छुट्टी दे दी गई। वह (i) बाएं पैर में कुचलन तथा घुटने से टखने तक मांसपेशियों में कुचलन से पीड़ित था। (ii) दाएं पैर में बीबी का जटिल फ्रैक्चर (एमआईडी 1/3) (iii) दाएं कोहनी और बांह की त्वचा के नुकसान के साथ कटे हुए घाव (iv) नाक की हड्डी में फ्रैक्चर और उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उनकी हड्डियों और मांसपेशियों में नेक्रोसिस की समस्या हो गई, साथ ही जमावट की स्थिति भी बिगड़ गई और सेप्सिस हो गया, इसलिए ए.के. का अंग विच्छेदन किया गया।

2. अपीलकर्ता ने अपना मुआवज़ा दावा एमएसी सं. 602/2010 के तहत दायर किया है। जीटीबी अस्पताल द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र के अनुसार, उसके निचले अंगों में 80% की स्थायी विकलांगता हो गई है। न्यायाधिकरण ने उसकी संपूर्ण शारीरिक विकलांगता का 40% मूल्यांकन किया और उसकी आयु तथा वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के तीन आयकर रिटर्न को ध्यान में रखते हुए भविष्य की कमाई के नुकसान की गणना की और दिनांक 15.10.2012 के आदेश के अनुसार निम्नानुसार मुआवजा प्रदान किया:

1.	दर्द और पीड़ा के लिए मुआवज़ा	रु. 1,00,000 /-

2.	सुख-सुविधाओं और आनंद की हानि	रु. 1,50,000 /-
3.	विकृति के लिए मुआवजा	रु. 1,00,000/-
4.	चोटों के कारण कमाई की क्षमता का नुकसान	रु. 9,58,997 /-
5.	याचिकाकर्ता की 5 **महीने** की कमाई का नुकसान @ 8,200/- रुपये	रु. 41, 000/-
6.	चिकित्सा बिलों पर **व्यय**	रु. 3,11,619/-
7.	परिवहन व्यय एवं **विशेष** आहार के लिए मुआवजा (बिल के बिना)	रु. 10,000/-
8.	कृत्रिम पैर के लिए मुआवजा	रु 70,000/-
	कुल	रू..17,41,616/-

3. उक्त निर्णय से **व्यथित** होकर वर्तमान अपील दायर की गई है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की **वार्षिक** आय की गलत गणना की है। **विद्वान** न्यायाधिकरण को कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के आयकर रिटर्न में दर्शाई गई आय पर विचार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान याचिकाकर्ता अपनी चोटों के कारण अस्वस्थ था और सेवा में नहीं था और इसी कारण उस वर्ष उसकी आय कम हो गई। यह तर्क दिया गया है कि उनके पिछले आयकर रिटर्न से पता चलता है कि उनकी आय में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है।

4. प्रत्यर्थी ने इस बात से इनकार किया कि न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की आय की गलत गणना की है।

5. वर्तमान अपील में न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष विवादित नहीं है कि दुर्घटना, वाहन सं. एचआर 38सी 2777 के तेज व लापरवाही से वाहन चलाने का परिणाम थी। इस प्रकार यह निष्कर्ष अंतिम रूप ले चुका है।

6. मैंने निचली न्यायालय का रिकॉर्ड देखा है। रिकार्ड से स्पष्ट है कि दिनांक 21 अक्टूबर, 2009 को हुई इस दुर्घटना तथा अपीलार्थी को आई गंभीर चोटों के कारण वह 5-6 महीने तक अपने नियोक्ता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं था। यह तथ्य भी स्पष्ट है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने उसे पांच महीने की कमाई के नुकसान की भरपाई की है। इस तथ्य को देखते हुए, स्वाभाविक रूप से, उनके आयकर रिटर्न में कर निर्धारण वर्ष 2009-2010 के लिए उनकी आय पिछले वर्षों की तुलना में कम है और भविष्य में आय की हानि की गणना के उद्देश्य से उनकी औसत आय की गणना करते समय इसे ध्यान में नहीं लिया जाना चाहिए। इस प्रकार, अपीलकर्ता की औसत वार्षिक आय की गणना करने पर यह निष्कर्ष निकलता है

आयकर विवरणी के अनुसार आय

वर्ष 2007-2008 के लिए रु.1,14,321/-

वर्ष 2007-2008 के लिए रु.1,72,680/-

रु.2,87,001/-

दो वर्ष की औसत आय (वार्षिक आय) रु. 2,87,001 2 = रु. 1,43,500/-

7. अपीलकर्ता की ओर से आगे तर्क दिया गया कि उसकी **वार्षिक** आय का 30% मुद्रास्फीति/भविष्य **की** संभावनाओं के लिए जोड़ा गया है, जबकि वह भविष्य की कमाई के नुकसान की गणना करते समय अपनी आय का 50% जोड़ने का हकदार था। *राजेश बनाम राजबीर सिंह* (2013) 9 एससीसी 54 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है।

8. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि दुर्घटना के समय **अपीलकर्ता** की आयु 26 वर्ष थी और **उपर्युक्त** मामले में निर्धारित फार्मूले के अनुसार, उसकी कमाई क्षमता की हानि के **लिए** पात्रता की गणना करते समय उसके वेतन का 50% भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए जोड़ा जाना चाहिए था।

भविष्य में आय की हानि 143500 का 50% = 71,750

कुल वार्षिक आय 143500 + 71750 = रु 215,250/-

9. अपीलकर्ता ने यह भी तर्क दिया है कि न्यायाधिकरण ने गलत तरीके से संपूर्ण शारीरिक विकलांगता का 40% मूल्यांकन किया है, **जबकि** यह 80%

होना चाहिए था और उसने *नीरूपम मोहन माथुर बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी* 2013 (8) स्केल के मामले के निष्कर्षों पर भरोसा किया है।

10. प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने संपूर्ण शारीरिक विकलांगता का सही आकलन 40% किया है, क्योंकि अपीलकर्ता की 80% विकलांगता उसे अपना व्यवसाय करने से नहीं रोकती है। वह केवल एक अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा था।

11. स्थायी विकलांगता के कारण भविष्य में होने वाली आय की हानि के आकलन के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय ने राज कुमार बनाम अजय कुमार और अन्य (2011) 1 एससीसी 343 मामले में विचार किया था, जिसमें न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

> ***"8.*** *विकलांगता का तात्पर्य किसी व्यक्ति के लिए सामान्य माने जाने वाले तरीके से किसी गतिविधि को करने की क्षमता में किसी भी तरह की बाधा या कमी से है। स्थायी विकलांगता से तात्पर्य शरीर के किसी भाग की अवशिष्ट अक्षमता या उपयोग की हानि से है, जो उपचार और स्वास्थ्य लाभ की अवधि के अंत में विद्यमान पाई जाती है, तथा यह तब भी बनी रहती है जब अधिकतम शारीरिक सुधार या स्वास्थ्य-लाभ प्राप्त हो चुका होता है, तथा घायल व्यक्ति के शेष जीवन में भी यह बनी रहती है। अस्थायी विकलांगता से तात्पर्य चोट के कारण शरीर के किसी भाग की अक्षमता या उपयोग की हानि से है, जो उपचार और स्वास्थ्य लाभ की अवधि के अंत में समाप्त हो*

जाएगी। स्थायी विकलांगता आंशिक या पूर्ण हो सकती है। आंशिक स्थायी विकलांगता से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उन सभी कर्तव्यों और शारीरिक कार्यों को करने में असमर्थता से है जिन्हें वह दुर्घटना से पहले कर सकता था, हालांकि वह उनमें से कुछ को करने में सक्षम है और अभी भी कुछ लाभदायक गतिविधि में संलग्न होने में सक्षम है। पूर्ण स्थायी विकलांगता से तात्पर्य दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की कोई व्यवसाय या रोजगार संबंधी गतिविधियां करने में असमर्थता से है। मोटर दुर्घटना में होने वाली चोटों से उत्पन्न होने वाली स्थायी विकलांगताएं, शारीरिक विकलांगताओं की तुलना में बहुत व्यापक होती हैं, जिन्हें विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (संक्षेप में "विकलांगता अधिनियम") में सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन यदि विकलांगता अधिनियम की धारा 2(i) में उल्लिखित कोई भी विकलांगता मोटर दुर्घटना में लगी चोटों का परिणाम है, तो मुआवजे का दावा करने के उद्देश्य से वे स्थायी विकलांगता हो सकती हैं।

9. *स्थायी विकलांगता का प्रतिशत डॉक्टरों द्वारा पूरे शरीर के संदर्भ में, या अधिकतर किसी विशेष अंग के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। जब विकलांगता प्रमाण-पत्र में यह कहा जाता है कि घायल व्यक्ति को बाएं निचले अंग में 45% तक स्थायी विकलांगता हो गई है, तो यह पूरे शरीर के संदर्भ में 45% स्थायी विकलांगता के समान नहीं है। किसी अंग (या शरीर के किसी भाग) की विकलांगता की सीमा, उस अंग के कुल कार्यों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है, लेकिन स्पष्टतः उसे पूरे शरीर की विकलांगता की सीमा नहीं माना जा सकता। यदि दाहिने हाथ की 60%*

स्थायी विकलांगता है तथा बाएं पैर की 80% स्थायी विकलांगता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सम्पूर्ण शरीर के संदर्भ में स्थायी विकलांगता की सीमा 140% (अर्थात 80% + 60%) है। यदि शरीर के विभिन्न भागों में विकलांगता का प्रतिशत अलग-अलग है, तो संपूर्ण शरीर के संदर्भ में स्थायी विकलांगता के रूप में व्यक्त कुल योग स्पष्ट रूप से 100% से अधिक नहीं हो सकता।

10. *जहां दावेदार को चोटों के परिणामस्वरूप स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है, वहां भविष्य की कमाई की हानि के शीर्षक के तहत मुआवजे का मूल्यांकन उसकी कमाई क्षमता पर ऐसी स्थायी विकलांगता के असर और प्रभाव पर निर्भर करेगा। न्यायाधिकरण को स्थायी विकलांगता के प्रतिशत को आर्थिक नुकसान या कमाई की क्षमता के नुकसान के प्रतिशत के रूप में यांत्रिक रूप से लागू नहीं करना चाहिए। अधिकांश मामलों में, स्थायी विकलांगता से उत्पन्न आर्थिक हानि का प्रतिशत, अर्थात् कमाई करने की क्षमता की हानि का प्रतिशत, स्थायी विकलांगता के प्रतिशत से भिन्न होगा। कुछ न्यायाधिकरण गलत तरीके से यह मान लेते हैं कि सभी मामलों में, स्थायी विकलांगता की एक विशेष सीमा (प्रतिशत) के परिणामस्वरूप कमाई करने की क्षमता में उसी अनुपात में कमी आएगी, और परिणामस्वरूप, यदि प्रस्तुत साक्ष्य स्थायी विकलांगता के रूप में 45% को दर्शाते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि भविष्य में कमाई करने की क्षमता में 45% की कमी होगी। अधिकांश मामलों में, कमाई करने की क्षमता की हानि की सीमा (प्रतिशत) को स्थायी विकलांगता की सीमा (प्रतिशत) के बराबर मानने पर या तो बहुत कम या बहुत अधिक मुआवजा मिलेगा।*

11. न्यायाधिकरण द्वारा यह आकलन किया जाना अपेक्षित है कि स्थायी विकलांगता का घायल व्यक्ति की कमाई करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा; तथा आय के प्रतिशत के रूप में कमाई करने की क्षमता की हानि का आकलन करने के बाद, इसे धन के रूप में परिमाणित किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कमाई की हानि का पता लगाया जा सके (आश्रितता की हानि का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त मानक गुणक विधि को लागू करके)। तथापि, हम यह ध्यान दे सकते हैं कि कुछ मामलों में, साक्ष्य और मूल्यांकन के आधार पर न्यायाधिकरण यह पा सकता है कि स्थायी विकलांगता के परिणामस्वरूप कमाई करने की क्षमता की हानि का प्रतिशत, स्थायी विकलांगता के प्रतिशत के लगभग समान है, ऐसे मामले में, निश्चित रूप से न्यायाधिकरण मुआवजे के निर्धारण के लिए उक्त प्रतिशत को अपनाएगा। (उदाहरण के लिए, अरविंद कुमार मिश्रा बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [(2010) 10 एससीसी 254: (2010) 3 एससीसी (आप.) 1258: (2010) 10 स्केल 298] और यादव कुमार बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [(2010) 10 एससीसी 341: (2010) 3 एससीसी (आप.) 1285: (2010) 8 स्केल 567] में इस न्यायालय के निर्णय देखें)

***12.** इसलिए, न्यायाधिकरण को पहले यह तय करना होगा कि क्या कोई स्थायी विकलांगता है और यदि है, तो ऐसी स्थायी विकलांगता की सीमा क्या है। इसका अर्थ यह है कि न्यायाधिकरण को साक्ष्य के संदर्भ में विचार करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए:*

(i) क्या विकलांगता स्थायी है या अस्थायी;

(ii) यदि विकलांगता स्थायी है, तो क्या यह स्थायी पूर्ण विकलांगता है या स्थायी आंशिक विकलांगता है;

(iii) यदि विकलांगता का प्रतिशत किसी विशिष्ट अंग के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, तो अंग की ऐसी विकलांगता का पूरे शरीर की कार्यप्रणाली पर प्रभाव, अर्थात व्यक्ति द्वारा झेली गई स्थायी विकलांगता।

यदि न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई स्थायी विकलांगता नहीं है, तो आगे कार्यवाही करने और भविष्य में कमाई करने की क्षमता के नुकसान का निर्धारण करने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन यदि न्यायाधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि स्थायी विकलांगता है तो वह इसकी सीमा का पता लगाने के लिए आगे बढ़ेगा। न्यायाधिकरण द्वारा चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर दावेदार की स्थायी विकलांगता की वास्तविक सीमा का पता लगाने के बाद, उसे यह निर्धारित करना होता है कि क्या ऐसी स्थायी विकलांगता ने उसकी कमाई करने की क्षमता को प्रभावित किया है या प्रभावित करेगी।

12. मैंने *नीरुपम मोहन माथुर* (पूर्वोक्त) के मामले को पढ़ा है। उस मामले में तथ्य स्पष्ट रूप से अलग हैं। उस मामले में अपीलकर्ता अपने हाथों का उपयोग करके एक वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा था और चूंकि न्यायलय ने पाया कि उसके हाथ के विच्छेदन से उसके काम पर असर पड़ा था, इसलिए उसकी विकलांगता को तदनुसार आंका गया। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता एक लेखाकार के रूप में काम कर रहा था और इस प्रकार वह बैठ कर करने का कार्य कर रहा था और निचले अंग से संबंधित उसकी विकलांगता ने उसे

अपना काम करने में पूरी तरह से अक्षम नहीं बनाया था। अजय कुमार के मामले (पूर्वोक्त) में, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि भविष्य की कमाई के मद में मुआवजे का आकलन कमाई क्षमता पर ऐसी स्थायी विकलांगता के असर और प्रभाव पर निर्भर करेगा। इसका आकलन केवल साक्ष्य की सराहना के आधार पर किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अपीलकर्ता एक लेखाकार था और तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की संपूर्ण शारीरिक विकलांगता का प्रतिशत 40% के रूप में सही ढंग से आंका है।

विकलांगता के कारण भविष्य की कमाई का कुल नुकसान = 215, 250 x 17 (गुणक) x 40/100 (स्थायी विकलांगता) = रु.14,63,700/-

13. विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा अन्य शीर्षों के अंतर्गत दिए गए मुआवजे को कोई चुनौती नहीं दी गई है।

1.चोटों के कारण कमाई करने की क्षमता का नुकसान	रू.14,63,700/-
2. दर्द और पीड़ा के लिए मुआवजा	रु. 1,00,000/-
3. सुख-सुविधाओं और आनंद की हानि	रु. 1,50,000/-
4.विकृति केलिए मुआवजा.	रु. 1,00,000/-

5. याचिकाकर्ता की 5 **महीने** की कमाई का नुकसान @ 8,200/- रुपये प्रति माह रु. 41, 000/-

6. चिकित्सा बिलों पर **व्यय** रु. 3,11,619/ -

7. परिवहन एवं विशेष आहार के लिए मुआवजा (बिल के बिना) रु. 10, 000/-

8. कृत्रिम पैर के लिए मुआवजा रु 70, 000/-

रु. 22,46,319/-

14. अपीलकर्ता, **याचिका** दायर करने की तिथि से उसकी वसूली तक अधिमान्य राशि पर 75% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का हकदार होगा। यह राशि छह सप्ताह के भीतर चुकाई जानी चाहिए। अपीलकर्ता **विलंबित** अवधि के लिए 12% की दर से **ब्याज** पाने का हकदार होगा। 15. अपील का निपटान **उपर्युक्त** शर्तों के अनुसार किया जाता है।

न्या. सुश्री दीपा शर्मा,

08 मई, 2014
आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*